छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 435/2006</u>

श्री संदीप अग्रवाल, ... आवेदक
सरकारी अस्पताल के सामने,
सरायपाली,
जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
सरायपाली,
जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(10 अगस्त 2006)

श्री संदीप अग्रवाल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सरायपाली, जिला–महासमुंद के विरूद्ध शिकायत पत्र प्रस्तुत की है कि आवेदक के द्वारा जन सूचना अधिकारी, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, सरायपाली से जनवरी 2001 से अप्रेल 2006 के मध्य हुई चेक की राशि गड़बड़ी, मण्डी टैक्स के रकम की वसूली, जनवरी 2003 से अप्रेल 2006 तक मण्डी समिति के द्वारा अखबारों में दिये गये विज्ञापन एवं भुगतान, मण्डी द्वारा किये गये निर्माण कार्य व व्यय की गई राशि, कार्य एवं कार्य करने वाली एजेन्सियों के नाम, मण्डी समिति में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम, वेतन आदि की जानकारी चाही थी। उसके द्वारा दिनांक 10–4–2006 को आवेदन पत्र दिया गया। मण्डी समिति के द्वारा आवेदक से 455 पेज की फोटोप्रति हेतु 910/–रूपए जमा कराने हेतु सूचना पत्र दिनांक 5–5–2006 को भेजा गया। आवेदक के द्वारा दिनांक 8–5–2006 को 910/– रूपए सूचना का व्यय शुल्क जमा कराया गया। दिनांक 8–5–2006 को आवेदक को सूचित किया गया कि चार कंडिकाओं की जानकारी तैयार है, शेष एक कंडिका निर्माण कार्य से संबंधित उप अभियंता के बाहर रहने के फलस्वरूप जानकारी तैयार करने में समय लगेगा। उनके आने पर एक सप्ताह के अंदर जानकारी उपलब्ध करा दी जावेगी। आवेदक ने बताया कि संपूर्ण जानकारी 375/– पृष्ठों की है, 910/– रूपए गलत जमा कराये गये।

आयोग के द्वारा अनावेदक जन सूचना अधिकारी, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, सरायपाली को नोटिस जारी किया गया। उसके द्वारा जवाब में बताया गया कि कंडिका–1 से संबंधित विषय की जांच मण्डी बोर्ड के वरिष्ठ अंकेक्षकों के द्वारा की

गई है, जिसकी रिपोर्ट अप्राप्त है तथा उसकी जानकारी कार्यालय में उपलब्ध न होने से आवेदक को नहीं दी जा सकी। शेष जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। निर्माण कार्य से संबंधित माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति भी आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक ने यह स्वीकार किया कि उसे जानकारी प्राप्त हो गई है। किन्तु उसका यह कथन है कि उससे 910/– रूपए की राशि अधिक जमा कराई गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि पृष्ठों की संख्या कम/अधिक हो सकती है, इसलिए अंदाज से पूर्व में 910/– रूपए की राशि जमा कराई गई थी। आवेदक को पत्र दिनांक 20–5–2006 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि वे जमा में से शेष राशि का चेक वे प्राप्त कर लें। चूँकि आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जानकारी दिये जाने में द्वेषवश अथवा जानबूझकर विलंब नहीं किया गया है तथा राशि जमा कराने में भी जानबूझकर अधिक राशि जमा कराने का उद्देश्य नहीं रहा एवं शेष राशि आवेदक को वापिस किये जाने हेतु उसे सूचित भी किया जा चुका है। अतः अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है। जन सूचना अधिकारी शेष राशि का चेक आवेदक को यदि अभी तक नहीं दिया हो तो 7 दिन के अंदर प्रदान करें।

उक्त निर्देश के साथ शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त